कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 816/2019 स्नेहलता शर्मा, प्रधानाचार्या बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2019 द्वारा अपीलार्थिया की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को माननीय अधिकरण द्वारा बलहीन एवं सारहीन होने के आधार पर ग्राह्यता के क्रम पर ही निस्तारित करते हुए अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत एवं विशिष्ट परेशानियो के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

अपीलार्थिया, श्रीमती स्नेहलता शर्मा को इस कार्यालय के आदेश दिनांक 28.02.2019 द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चेचट, खैराबाद जिला कोटा में प्रधानाचार्या पद पर पदस्थापित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलार्थिया को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमहला, डग जिला झालावाड़ में पदस्थापित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थिया द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष उक्त अपील दायर की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन कोटा शहर में प्रधानाचार्य एवं समकक्ष के किसी रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थिया के अभ्यावेदन पर गहन चिन्तन व मनन किया गया और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। अपीलार्थिया, **श्रीमती स्नेहलता शर्मा दिनांक 13.05.2013 से 07.10.2018 तक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि) के पद पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) झालावाड़ में और दिनांक 08.10.2018 से 28.02.2019 तक सहायक निदेशक, (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि) के पद पर कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा में कार्यरत रहीं।** इस प्रकार **इनके एक ही पद पर लम्बे ठहराव, पद की प्रकृति एवं विद्यार्थियो की निर्बाध शिक्षण व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए इन्हें छात्र एवं राज्य हित, विभागीय प्राथमिकता तथा प्रशासनिक आवश्यकता में विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर (जो कि इनका मूल पदीय कर्तव्य भी है) पदस्थापित करने की आवश्यकता विभाग द्वारा महसूस की गई जिसके मद्देनजर श्रीमती शर्मा को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमहला, डग जिला झालावाड़ में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया।** अपीलार्थिया प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद धारित राज्य सेवा की अधिकारी हैं और **माननीय उच्च न्यायालय के शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार प्रकरण में दिये गए निर्णयानुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक को एक ही स्थान पर लगातार पदस्थापित रहने का कोई विशेषाधिकार नहीं है। उसे राज्य एवं छात्र हित में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों से उसके कानूनी अधिकारों का किसी भी प्रकार से कोई हनन नहीं होता।** अतः अपीलार्थिया द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। श्रीमती शर्मा को आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्थानान्तरित स्थान पर तत्काल प्रभाव से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/स्नेहलता/816/2019 दिनांकः 27.05.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, झालावाड़/कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) झालावाड़/कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)